राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प.1(111)कार्मिक/क-3/2001 जयपुर,दिनांक- 29 SEP 2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि किसी राज्य सेवक के विरूद्ध उसके द्वारा की गई अनियमितता एवं दुराचरण के सन्दर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने अथवा आरोप पत्र इत्यादि जारी होने के उपरान्त अधिकारीगण द्वारा अपने पदों से स्थानान्तरण के बाद भी अथवा पूर्ववत पद पर बने रहते हुए बिना अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्देशों के, स्वेच्छा से और अनाधिकृत रूप से आरोप पत्र में विवादित विषयवस्तु पर टिप्पणियॉ/पत्राचार/ प्रमाण-पत्र इत्यादि अपचारी राज्यसेवक को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से अभिलेखित/ प्रसारित करते हैं जबकि इसकी कोई अपेक्षा प्राधिकारी द्वारा उनसे नहीं की जाती है ।

इस प्रकार अधिकारीगण की यह कार्यवाही पूर्ण रूप से अनाधिकृत होती है । इसका विपरीत प्रभाव जॉच कार्यवाही पर पड़ता है और संबंधित राज्यसेवक गण इस प्रकार के अनाधिकृत पत्राचार का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं । अपचारी अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिट याचिका/अपील के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में भी उसे इस प्रकार के पत्राचार से सहायता प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार/विभाग के समक्ष विषम कठिनाईयॉ उत्पन्न होती हैं ।

अत: निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अधिकारीगण इस प्रकार के मामलों में अपनी टिप्पणी/पत्राचार अपचारी अधिकारी के संदर्भ में नहीं करेंगे। इस प्रकार की टिप्पणी/पत्राचार अनाधिकृत माना जावेगा तथा संबंधित अधिकारीगण के विरूद्ध इसे दुराचरण मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

22/09/2001
शासन सचिव